Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

Original Article

घरेलू हिंसा अधिनियम एवं वैवाहिक क्रूरता : पति के विरुद्ध झूठे आरोपों पर भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण एवं न्यायिक रुझान

अरविंद सिंह[1], Dr. Dhruval Shah[2]
[1]Pacific School of Law, Pacific Academy of Higher Education And Research University (PAHER), Udaipur, Rajasthan, India
[2]Assistant Professor, Pacific School of Law, Pacific Academy of Higher Education and Research University (PAHER), Udaipur, Rajasthan, India
Email: dhruvals4@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180520
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 5(A)
Pp.84-88
May- 2026
Submitted: 15 Apr. 2026
Revised: 25 Apr. 2026
Accepted: 10 May. 2026
Published: 31 May 2026

सारांश (Abstract)

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु अधिनियमित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भारतीय सामाजिक-कानूनी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A ने विवाहित महिलाओं को वैवाहिक क्रूरता से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि, न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य भी निरंतर उजागर हुआ है कि इन प्रावधानों का अनेक मामलों में दुरुपयोग कर पति एवं उसके परिवार को झूठे, दुर्भावनापूर्ण तथा निराधार आरोपों के माध्यम से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के निरसन एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रवर्तन के पश्चात IPC की धारा 498A को अब BNS की धारा 86 के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है। यद्यपि पुराने मामलों पर IPC लागू रहेगी, परंतु नए मामलों में BNS का प्रयोग होगा। यह शोध-पत्र घरेलू हिंसा अधिनियम, IPC धारा 498A तथा BNS धारा 86 के संदर्भ में पति के विरुद्ध झूठे आरोपों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और यह अध्ययन करता है कि भारतीय न्यायालयों ने ऐसे मामलों को किस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत "मानसिक क्रूरता" माना है। शोध में सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से न्यायिक दृष्टिकोण एवं रुझान को स्पष्ट किया गया है।

मुख्य शब्द (Keywords): *घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005; भारतीय न्याय संहिता, 2023; BNS धारा 86; IPC धारा 498A; मानसिक क्रूरता; वैवाहिक कानून; न्यायिक दृष्टिकोण; झूठे आरोप*

1. परिचय (Introduction)

भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी सामाजिक संस्था माना जाता है, जिसका उद्देश्य पति-पत्नी के मध्य सहयोग, सम्मान और पारिवारिक स्थिरता बनाए रखना है। परंतु सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ वैवाहिक विवादों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विधि को हस्तक्षेप करना पड़ा। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की समस्या को देखते हुए संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। इस अधिनियम के साथ-साथ IPC की धारा 498A को विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के अपराध के रूप में लागू किया गया। किंतु समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि इन विधिक प्रावधानों का प्रयोग केवल संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ मामलों में इन्हें प्रतिशोध एवं दबाव के साधन के रूप में भी प्रयुक्त किया गया। पति को झूठे आपराधिक मुकदमों में फँसाना, सामाजिक बदनामी तथा वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया ने वैवाहिक संबंधों को अपूरणीय क्षति पहुँचाई।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
अरविंद सिंह Pacific School of Law, Pacific Academy of Higher Education and Research University (PAHER), Udaipur, Rajasthan, India

How to cite this article:
सिंह, अरविंद. & Shah, D. (2026). घरेलू हिंसा अधिनियम एवं वैवाहिक क्रूरता: पति के विरुद्ध झूठे आरोपों पर भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण एवं न्यायिक रुझान. Journal of research & development, 18(5(A)), 84–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.20926429

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20926429
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

2. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. घरेलू हिंसा अधिनियम एवं वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. IPC धारा 498A एवं BNS धारा 86 के दुरुपयोग की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
3. पति के विरुद्ध झूठे आरोपों को "मानसिक क्रूरता" के रूप में न्यायालयों द्वारा कैसे देखा गया, इसका परीक्षण करना।
4. सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से न्यायिक दृष्टिकोण एवं रुझान को समझना।

3. शोध-प्रणाली (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध एक सिद्धांतात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Doctrinal and Analytical) अध्ययन है। इस शोध में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 के विधिक प्रावधानों और उनके न्यायिक अनुप्रयोग का विश्लेषण किया गया है। शोध में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है, जिनमें विधायी प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायालयों के निर्णय सम्मिलित हैं।

4. IPC से BNS 2023 तक : विधिक परिवर्तन का प्रभाव

भारतीय दंड संहिता, 1860 को निरस्त कर *भारतीय न्याय संहिता, 2023* को लागू किया गया है। यह परिवर्तन केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि आपराधिक न्याय दर्शन में सुधार का प्रतीक है। IPC की धारा 498A, जो विवाहित महिला के प्रति क्रूरता से संबंधित थी, अब BNS की धारा 86 के रूप में विद्यमान है। हालाँकि यह सिद्धांत स्थापित है कि अपराध के समय जो कानून लागू था, वही लागू होगा, अतः 1 जुलाई 2024 से पूर्व के मामलों में IPC लागू रहेगी। किंतु नए मामलों में BNS धारा 86 प्रभावी होगी। इस संक्रमण काल में न्यायालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का प्रयोग न्याय के लिए हो, न कि उत्पीड़न के लिए।

5. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 : उद्देश्य एवं सीमाएँ

घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं भावनात्मक हिंसा से संरक्षण देना है। अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार "पीड़ित व्यक्ति" केवल महिला हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि पति इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता नहीं हो सकता। न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि पुरुष इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित नहीं माने जाते, तथापि यदि अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है, तो उसे न्यायिक संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है।

6. मानसिक क्रूरता की अवधारणा : न्यायिक विकास

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत क्रूरता तलाक का एक स्वतंत्र आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने *Samar Ghosh v. Jaya Ghosh* में यह स्पष्ट किया कि मानसिक क्रूरता का कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता और प्रत्येक मामले के तथ्य अलग-अलग होते हैं।

न्यायालयों ने यह भी माना कि झूठे आरोप, निराधार आपराधिक मुकदमे, चरित्र हनन एवं सामाजिक अपमान मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।

7. न्यायिक दृष्टिकोण : मामलों का विस्तृत विवेचन

Sushma Taya बनाम Arvind (2014) : संक्षिप्त विश्लेषण

Citation:

न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इस मामले में पति-पत्नी के मध्य विवाह वर्ष 2008 में संपन्न हुआ। पत्नी द्वारा पति एवं उसके परिवार के विरुद्ध IPC की धारा 498A सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई। आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के पश्चात पति और उसके परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके उपरांत पति ने *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत, जिसमें पति अंततः बरी हो गया, वैवाहिक क्रूरता मानी जा सकती है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप असत्य सिद्ध होते हैं और उनके कारण पति तथा उसके परिवार को लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे की मानसिक पीड़ा सहनी पड़े, तो यह *मानसिक क्रूरता* की श्रेणी में आता है। न्यायालय ने पति और उसके परिवार के बरी होने, महिला प्रकोष्ठ की रिपोर्ट तथा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पत्नी की

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

शिकायत झूठी थी। अतः न्यायालय ने तलाक की डिक्री को बरकरार रखते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि झूठी आपराधिक शिकायतें वैवाहिक क्रूरता हैं और *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का वैध आधार बनती हैं।

2. Urmila Devi एवं अन्य बनाम Ravi Prakash (1984)

न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय इस प्रकरण में पत्नी द्वारा पति के चरित्र पर गंभीर एवं असत्य आरोप लगाए गए, जिनमें उसे शराबी, जुआरी एवं चरित्रहीन बताया गया। न्यायालय ने यह माना कि ऐसे निराधार आरोप पति की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को गहरा आघात पहुँचाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत इस प्रकार का चरित्र-हनन **मानसिक क्रूरता** की श्रेणी में आता है। अतः पति को तलाक का अधिकार प्रदान किया गया। यह निर्णय यह स्थापित करता है कि झूठे आरोप स्वयं में वैवाहिक जीवन को असहनीय बना सकते हैं।

3. Rattan Lal बनाम Santosh Devi (1983)

न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इस मामले में पत्नी ने पति पर अपनी चचेरी बहन के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया, जो प्रमाणित नहीं हो सका। निचली अदालत ने इसे क्रूरता नहीं माना, किंतु उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना प्रमाण के लगाए गए व्यभिचार अथवा अशीलता के आरोप **गंभीर मानसिक पीड़ा और चरित्र-हनन** का कारण बनते हैं। अतः ऐसे आरोप *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता माने जाएंगे और तलाक का आधार बन सकते हैं।

4. Satish Kumar बनाम Suman (2010)

न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इस प्रकरण में पत्नी द्वारा पति पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया गया। साथ ही, बार-बार पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गईं। न्यायालय ने यह माना कि इस प्रकार के आरोप, भले ही पूर्णतः सिद्ध न हों, पति की प्रतिष्ठा और वैवाहिक संबंधों को गंभीर क्षति पहुँचाते हैं। न्यायालय ने यह दोहराया कि **निराधार आरोप और चरित्र-हनन वैवाहिक जीवन के लिए घातक होते हैं** तथा मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। परिणामस्वरूप पति को तलाक प्रदान किया गया।

5. Uma Bassi बनाम Anil Kumar Bassi (1982)

न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में पत्नी द्वारा पति से वैवाहिक सहवास से इंकार किया गया तथा उस पर रिश्तेदारी में अनैतिक संबंध (incest) जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक संबंधों से वंचित करना और साथ ही ऐसे घोर अपमानजनक आरोप लगाना पति के लिए अत्यधिक मानसिक यातना का कारण है। यह आचरण *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत **स्पष्ट क्रूरता** माना गया। अतः न्यायालय ने तलाक की डिक्री को उचित ठहराया और यह सिद्धांत स्थापित किया कि मानसिक क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है।

6. Deepak Verma बनाम Rashmi Verma (2023)

न्यायालय: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय इस मामले में पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के विरुद्ध IPC की धारा 498A सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें पति बाद में बरी हो गया। पति ने यह तर्क दिया कि पत्नी द्वारा बार-बार अपमानजनक भाषा, झूठे आरोप तथा चरित्र-हनन से उसे गंभीर मानसिक पीड़ा पहुँची। उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा लगाए गए गंभीर, असत्य और मानहानिकारक आरोप तथा आपराधिक मुकदमे में पति का बरी होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि आरोप निराधार थे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार का आचरण *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत **मानसिक क्रूरता** है और तलाक का वैध आधार बनता है।

7. Sreekanth S. Nair बनाम Smitha Ravi (2018)

न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय इस प्रकरण में पत्नी द्वारा पति पर बार-बार अवैध संबंध होने के निराधार आरोप लगाए गए, जिससे पति की प्रतिष्ठा और मानसिक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निचली अदालत ने इसे क्रूरता नहीं माना, किंतु उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को पलट दिया। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि लगातार और बिना प्रमाण के लगाए गए बेवफाई के आरोप पति के लिए गहन मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं और यह *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत **मानसिक क्रूरता** की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि लंबे समय से अलगाव वैवाहिक संबंधों के पूर्णतः टूटने का संकेत है, अतः तलाक की डिक्री उचित है।

8. Ashish Krishnankutty बनाम Suja Kalappurackal (2020)

न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय इस प्रकरण में पत्नी द्वारा पति की अनुपस्थिति में विदेश (USA) से एकतरफा तलाक की डिक्री प्राप्त की गई तथा लंबे समय तक पति के साथ सहवास से इंकार किया गया। पति ने इसे गंभीर मानसिक यातना का कारण बताया।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

केरल उच्च न्यायालय ने यह माना कि पत्नी का यह आचरण, विशेषकर विदेशी तलाक की डिक्री और लगातार अलगाव, पति के लिए अत्यधिक मानसिक पीड़ा उत्पन्न करता है। न्यायालय ने *Samar Ghosh बनाम Jaya Ghosh* के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए कहा कि जब विवाह पूर्णतः टूट चुका हो और पुनर्मिलन की कोई संभावना न हो, तब ऐसे आचरण को *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत **मानसिक क्रूरता** माना जाएगा। अतः तलाक की अनुमति दी गई।

9. N. Shankar बनाम S. Saraswathi (2009)

न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले में पति-पत्नी दोनों द्वारा एक-दूसरे पर गंभीर और लापरवाह आरोप लगाए गए, जिनसे पारस्परिक विश्वास और संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। दोनों पक्ष लगभग 12 वर्षों से अलग रह रहे थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि जब पति-पत्नी एक-दूसरे पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाते हैं तथा वैवाहिक संबंध केवल औपचारिक रूप से शेष रह जाते हैं, तब यह स्थिति मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने माना कि ऐसा विवाह केवल "कानूनी कल्पना" बन जाता है, जिसे बनाए रखना और अधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। अतः तलाक को न्यायसंगत ठहराया गया।

10. Sushila Agrawal बनाम Ramesh Chandra Agrawal (2007)

न्यायालय: राजस्थान उच्च न्यायालय

इस प्रकरण में पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके पूर्व विवाह से उत्पन्न बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार किया तथा दुर्घटना के बाद उसकी उपेक्षा की। पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पति के बच्चों के प्रति निरंतर कठोर एवं असंवेदनशील व्यवहार तथा पति के बीमार या असहाय होने पर उसकी उपेक्षा करना **मानसिक क्रूरता** की श्रेणी में आता है। न्यायालय ने माना कि ऐसा आचरण वैवाहिक जीवन को असहनीय बना देता है और *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का वैध आधार है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत विश्लेषित न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि भारतीय न्यायालयों ने वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा को केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक क्षति को भी समान रूप से मान्यता दी है। विशेष रूप से पति के विरुद्ध झूठे आपराधिक मुकदमे, निराधार आरोप, चरित्र-हनन तथा लगातार अपमानजनक व्यवहार को न्यायालयों द्वारा गंभीर मानसिक क्रूरता के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायालयों ने यह भी स्थापित किया है कि IPC की धारा 498A (वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 के समतुल्य प्रावधान) के अंतर्गत यदि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप असत्य सिद्ध होते हैं और उनके परिणामस्वरूप पति एवं उसके परिवार को दीर्घकालिक मानसिक यातना, सामाजिक बदनामी और न्यायिक उत्पीड़न सहना पड़ता है, तो यह स्थिति *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955* की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का वैध आधार बन सकती है। समीक्षित मामलों से यह भी परिलक्षित होता है कि न्यायालयों का दृष्टिकोण अब अधिक **यथार्थवादी और संतुलित** हो गया है। झूठे चरित्र-हनन, अवैध संबंधों के निराधार आरोप, बार-बार की गई पुलिस शिकायतें, विदेशी न्यायालयों से एकतरफा तलाक की डिक्री, दीर्घकालिक अलगाव तथा पति के बच्चों या परिवार के प्रति क्रूर व्यवहार को न्यायालयों ने वैवाहिक संबंधों को पूर्णतः नष्ट करने वाले तत्व माना है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायालयों की वर्तमान प्रवृत्ति विवाह को मात्र कानूनी बंधन के रूप में बनाए रखने के बजाय **पक्षकारों की मानसिक गरिमा, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता** को प्राथमिकता देती है। जब वैवाहिक संबंध विश्वास, सम्मान और सहअस्तित्व के मूल तत्वों से विहीन हो जाता है, तब उसे बनाए रखना न्यायसंगत नहीं माना गया है। इस प्रकार, प्रस्तुत शोध यह प्रतिपादित करता है कि भारतीय न्यायपालिका ने वैवाहिक कानूनों की व्याख्या करते समय समानता, न्याय और मानवीय दृष्टिकोण को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है।

संदर्भ

Sushma Taya v. Arvind, MANU/PH/3556/2014 (Punjab & Haryana High Court, 01 December 2014).
1. Urmila Devi & Ors. v. Ravi Prakash, MANU/DE/0713/1984 (Delhi High Court, 16 August 1984).
2. Rattan Lal v. Santosh Devi, MANU/PH/1135/1983 (Punjab & Haryana High Court, 18 July 1983).
3. Satish Kumar v. Suman, MANU/PH/4004/2010 (Punjab & Haryana High Court, 24 December 2010).
4. Uma Bassi v. Anil Kumar Bassi, MANU/DE/0738/1982 (Delhi High Court, 21 October 1982).
5. Deepak Verma v. Rashmi Verma, MANU/CG/1748/2023 (Chhattisgarh High Court, 10 August 2023).
6. Sreekanth S. Nair v. Smitha Ravi, MANU/KE/1912/2018 (Kerala High Court, 01 August 2018).
7. Ashish Krishnankutty v. Suja Kalappurackal, MANU/KE/2531/2020 (Kerala High Court, 02 July 2020).
8. N. Shankar v. S. Saraswathi, MANU/TN/3979/2009 (Madras High Court, 21 October 2009).
9. Sushila Agrawal v. Ramesh Chandra Agrawal, MANU/RH/0087/2007 (Rajasthan High Court, 01 May 2007).
10. Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511 (Supreme Court of India).
11. Narendra v. K. Meena, (2016) 9 SCC 455 (Supreme Court of India).

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

12. Raj Talreja v. Kavita Talreja, (2017) 14 SCC 194 (Supreme Court of India).
13. Hindu Marriage Act, 1955, No. 25 of 1955, India.
14. Indian Penal Code, 1860 (अब प्रतिस्थापित – भारतीय न्याय संहिता, 2023).
15. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, § 86 (भारत)